न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–79/2019
निर्णय दिनांक:–03.09.2019

उनवान

1. विष्णुकान्त पुत्र सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. महेशकुमार पुत्र सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
3. गोविन्दी पत्नि सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र देवालाल जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणा
एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितः– श्री शीताराम शर्मा वकील वादीगण
श्री सवाईभोज गुर्जर वकील प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 552 रकबा 23–06 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं उक्त सम्पत्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है एवं वादीया सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नि है विधिक रूप से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का उक्त सम्पत्ति में को–शेयर है और मौके पर वादीगण काबिज मालिक है परन्तु रिकार्ड में वादीगणों के नाम खातेदारी अंकन नहीं है लिहाजा वादीगण उक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी सं.1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है एवं राजस्व जमाबन्दी में वादीगणों का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकन किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः वादीगण की अभियाचना है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख.नं. 552 रकबा 23–06 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार निवाई को दिया जावे। इस आशय की डिक्री बहक वादी पक्ष पारित फरमावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सवाईभोज गुर्जर एड. ने इकबाली जवाब–दावा मय वकालतनामा पेश किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगणों के नाम 3/4 हक व हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं.1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किये जाने का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने पीडब्ल्यू–1 विष्णुकान्त व पीडब्ल्यू–2 महेश कुमार के शपथ–पत्र वास्ते साक्ष्य पेश किये। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश करने हेतु इन्कार किया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 552 रकबा 23–06 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं उक्त सम्पत्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

हुये है। वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है एवं वादीया सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नि है विधिक रूप से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का उक्त सम्पत्ति में को–शेयर है और मौके पर वादीगण काबिज मालिक है परन्तु रिकार्ड में वादीगणों के नाम खातेदारी अंकन नहीं है लिहाजा वादीगण उक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी सं.1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है एवं राजस्व जमाबन्दी में वादीगणों का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकन किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख.नं. 552 रकबा 23–06 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार निवाई को दिया जावे। इस आशय की डिक्री बहक वादी पक्ष पारित फरमावे। वकील प्रतिवादी सं.1 ने बहस में वादी के वाद को स्वीकार करने हेतु सहमति जाहिर करते हुये बताया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगणों के नाम 3/4 हक व हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं.1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किये जाने का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 552 रकबा 23–06 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई वादी की स्वअर्जित भूमि है। उक्त भूमि पैत्रक होने के संबंध में वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। स्वअर्जित भूमि में खातेदार के जीवनकाल में उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नियमानुसार निहित नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. विष्णुकान्त पुत्र सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. महेशकुमार पुत्र सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
3. गोविन्दी पत्नि सूरजकरण जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र देवालाल जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणा
एवं दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमां संख्या:— 79 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री सीताराम शर्मा वकील वादी व श्री सवाई भोजगुंर्जर वकील प्रतिवादी सं. 1 मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

3/9/19

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner